न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2015/08 दर्ज दिनांक : 09.06.2025

1. मीरा देवी पुत्री हड़मानाराम धर्मपत्नी महावीर प्रसाद, जाति जाट निवासीनी ग्राम छाजुसर हाल निवासीनी ढानी लालसिंह पुरा, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)

–अपीलांट–

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र हड़मानाराम, जाति जाट, निवासी गांव छाजूसर तहसील व जिला चूरू
2. ओमप्रकाश पुत्र हड़मानाराम, जाति जाट, निवासी गांव छाजूसर तहसील व जिला चूरू
3. हड़मानाराम पुत्र स्व. तुल्छाराम, जाति जाट, निवासी गांव छाजूसर तहसील व जिला चूरू
4. रामचन्द्र पुत्र स्व.तुलछाराम, जाति जाट, निवासी गांव छाजूसर तहसील व जिला चूरू

–रेस्पोडेन्ट–

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:– राहुल सोनी
अप्रार्थीगणः–राजेन्द्र राजपुरोहित, सुरेन्द्र डुडी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 75
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

निर्णय दिनांक :–16.03.2026

1. यह कि रेस्पोडेंट सं. 3 हड़मानाराम पुत्र स्व.तुल्छाराम अपीलांटा के पिता है रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 अपीलांटा के सगे भाई है एवं रेस्पोडेंट सं. 4 रामचन्द्र अपीलांटा के सगा चाचा है पक्षकारो का कुर्सीनामा निम्न प्रकार है–

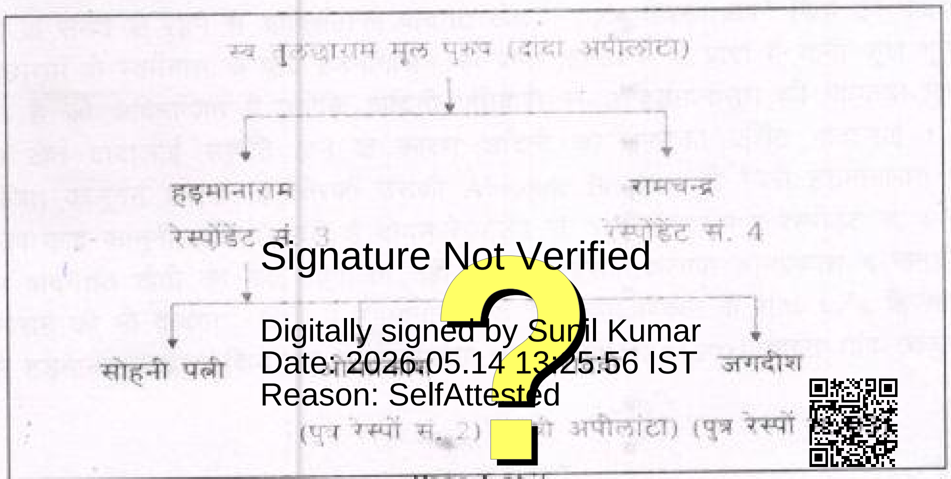

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:56 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि स्व.तुलछाराम पुत्र स्व.गणेशाराम जाति जाट अपीलांटा के सगे दादा थे तुलछाराम के समय में उनकी खातेदारी के खेत खसरा न. 52 तादादी 0.2520 हे. व खसरा 54 की 1.3275 है व खसरा नं. 56 की 5.2989 है एवं खसरा न. 62 की 1.7705 है कुल 4 खेत कुल तादादी 8.6501 है. बारानी वाके राही गाव छाजुसर एवं कृषि भूमि खसरा नं 353 की 0.379 है. एवं खसरा न. 363 की 11.0656 है. कुल किता 2 की 11.4450 हे. बारानी भूमि रोही ग्राम बीनासर तहसील व जिला चूरू में स्थित रही है स्व. तुछाराम के दो पुत्र हड़मानाराम स्पोंडेंट सं. 03 व रेस्पोंडेंट प्रतिवादी सं. 04 है तुल्छाराम के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त खेतो में हड़मानाराम व रामचन्द्र को विरासतन 1/2 हिस्सा दादालाई हड़मानाराम व उसके वारिसान के व 1/2 हिस्सा रामचन्द्र को प्राप्त हुआ जो आज तक अविभातिज है– हड़मानाराम की पत्नी जिन्दा है हड़मानाराम के दो जायन्दा पुत्र जगदीश रेस्पोडेंट सं. 1 व ओमप्रकाश रोस्पोडेंट सं. 2 है तथा एक जायन्दा पुत्री मु. मीरा देवी है जो अपीलांटा है इस प्राकार वादगत खेतो में तुल्छाराम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र हड़मानाराम के हिस्से में आये 1/2 भाग में हड़मानाराम क अपने पुत्र एवं पुत्री के साथ क्रमशः 1/4, 1/4 हिस्सा अविभाजित है।

3. यह कि वादगत खेतो का अभी तक हड़मानाराम रेस्पोंडेंट सं. 3, उसके वारसान व रामचन्द्र रेस्पोंडेंट सं. 4 के बीच बटवारा नही हुआ हे जोइन्ट खातेदारी के ही चले आ रहे है तथा सामुहिक रूप से खातेदारान के साथ अपीलांटा द्वारा भी कास्त किये जाते रहे है। वादगत खेतो में हड़मानाराम के हिस्से में यानि 1/2 हिस्सा में से वादीनी का 1/4 हिस्सा जमीन हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत स्त्रीधन है and it is her absolute property.

4. यह कि हड़मानाराम रेस्पोडेंट सं. 3 का पुत्र रेस्पोडेंट सं. 2 ओमप्रकाश अभी तक कुवारा हे तथा रेस्पोंडेंट सं. 1 जगदीश प्रसाद चतुर व होशियार व्यक्ति है। दोनो में ओमप्रकाश व अपीलांटा मीरादेवी को वादगत खेतो में जो दादालाई अविभाजित 1/4, 1/4 हिस्सा हे उसे मारने की गर्ज से हड़मानाराम ने जगदीश के प्रभाव में आकर वादगत खेतो में अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा बतलाकर गलत रूप से बतलाकर बिला अधिकार अपना बिला बंटा सामलाती खेतो को दो उपहार पत्र ग्राम छाजुसर व ग्राम बीनासर की रोही में स्थित उपर वर्णित खेतो के दो उपहार पत्र दिनांक 12.04.2021 को रेस्पोंडेंट सं. 3 हड़मानाराम ने रेस्पोडेंट सं 1 जगदीश के हक में बिला अधिकार एवं वादिनी के हिस्से को हड़प करने की नियत से किये है जिन्हे निरस्त करने के लिए एक दावा श्रीमान जिला न्यायाधीश के समक्ष लम्बित है जो अपीलांटा मु. मीरा देवी की तरफ से प्रस्तुत किया गया है।

5. यह कि वादगत खेत वाके गांव छाजुसर खेत खसरा नं 353 की 0.3795 है. एवं ख. न 363 की 11. 0656 है. जमीन बाके ग्राम बीनासर खेत खसरा नं 52 की 0.2529 हें. व खसरा नं. 54 की 7.3278 हे., खसरा नं. 62 की 1.7765 हे. ख.नं. 56 की 6.2989 हे. स्व.तुलछाराम जाट दादा अपीलांटा की खातेदारी व दादा के समय के रहने से अपीलांटाका वादगत खेत में 1/4 हिस्सा अपने पिता एवं भाईयों के साथ स्व.तुलछाराम के स्वर्गवास के बाद हड़मानाराम को प्राप्त हिस्सा में से प्राप्त है यानी कुल भूमि में 1/8 हिस्सा है जो अविभाजित है क्योंकि वादिनी प्रतिवादी सं. 3 हड़मानाराम की जायन्दा पुत्री है तथा वादगत खेत दादालाई सम्पति होने के कारण वादिनी का उपरोक्त वर्णित दादालाई 1/4 हिस्सा अविभाजित कानूनन बनता है औरजो उसकी Absolute Property है जिसे हड़मानाराम को उपहार करने का काई कानूनी अधिकार नही है दोयम रेस्पोडेंट सं. 3 हड़मानाराम व रेस्पोडेंट सं. 4 रामचन्द्र के बीच भ वादगतत खेती का का[illegible] अलावा ओमप्रकाश व जगदीश पुत्रगण हड़मानाराम की भी वादगत खेतो में हड़मानाराम [illegible]न हिस्सा के साथ 1/4 हिस्सा है कानूनी रूप से हड़मानाराम द्वारा किये [illegible] 2021 बाबत गांव छाजुसर व गांव

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:56 IST
Reason: SelfAttested

बीनासर स्थित खेतो के बाबत Illegal,Improper व बिला अधिकार के है – एसी स्थिती में तहसीलदार चूरू का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह कि नहसीलदार चूरू को नामान्तरण तस्दीक का आदेश दिनांक22.06.2021 को देने से पूर्व हड़मानाराम के सभी वररिसान अपीलांटा एव रेस्पोंडेंट को नोटिसदेकर सूचित करना चाहिए था व अपीलांटा को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए था– उक्त सम्पति पैतृक सम्पति होने एवं समस्त वारिसान को सुने बगैर मात्र उपहार पत्रों के आधार पर किया गया नामांतकरण तस्दीक करने का आदेश देना कानूनी अधिकारो के बाहर व नुचूरल जस्टिस के खिलाफ है।

7. यह कि विवादित खातो पर कब्जा अपीलांटा व समस्त रेस्पोंडेंट सं. 01 ता 04 का संयुक्त रूप से है काश्त संयुक्त है एसी स्थिति में अकेले रेस्पोंडेंट सं. 1 के नाम से नामान्तकरण तस्दीक करना कानूनन, नियम व वास्तविक स्थिति के खिला है।

8. यह कि तहसीलदार चूरू द्वारा आदेश दिया जाने पर पटवारी हल्का बीनासर एवं छाजुसर द्वारा दिनांक 22.06.2021 को नामांतकरण तसदीक किया गया हे अपीलांटा को नामांतकरण की जानकारी दिनांक 29.11.2022 को नामातकरण की पटवारी हल्का द्वारा प्रमामिणत प्रतिलिपि प्राप्त होने पर हुई जिससे यह अपील अंदर मियाद पेश है तथा आदेश तहसीलदार चूरू का होने से माननीय न्यायालय को अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकर व श्रवणाधिकर का है जो अपील दो रूपये के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत हे यदि अपील पेश करने में किसी प्रकार की देवी भी हुई है तो माननीय न्यायालय से उसे क्षमा करने का भी निवेदन किया जाता है।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ड को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र डुडी व अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से राजेन्द्र राजपुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया रेस्पो सं. 01 से 03 की ओर से आपति प्रार्थना–पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि

आपति

उपरोक्त अनवानी अपील अपीलांटी द्वारा न्यायालय तहसीलदार चूरू के आदेश दिनांक 22.06.2021 के विरूद्ध पेश की गई है जबकि उक्त दिनांक को न्यायालय तहसीलदार चूरू द्वारा अपीलान्टा के विरूद्ध काई ओदेश पारित नही किया गया हे इसलिए प्रथम दृष्टया ही अपील श्रवण किए जाने योग्य नही है।

यह कि आदेश गैर बहस अपील बाबत नामान्तकरण ग्राम पंचायतबीनासर तहसील चूरू व ग्राम पंचायत मोलिसर बड़ा तहसील चूरू के द्वारा पारित किये गये है कानूनन विधिक प्रावधानो के ग्राम पंचायत के नामान्तकरण ओदश के विरूद्ध अपील श्रीमान के न्यायालय के समक्ष पेश न होकर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश की जाती है। राजस्व विभाग राज: सरकार द्वारा जारी अधिसुचना एफ–5/21/राजस्व/ग्रुप–4/80/85 दिनांक 04.09.1982 नामान्तरकरण के संबंध में जारी की गई है नामान्तरण के संबंध में जारी की गई अधिसुचना दिनांक 04.09.19812 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनाने की शक्तिया दिनांक 19.11.1983 से उपखण्ड अधिकारी को प्रदत कर दी गई है ऐसी परिस्थितियों में श्रीमानजी के न्यायालय के समक्ष पेश अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

यह कि अपीलान्टा द्वारा यह अपील मियाद बाहर पेश की गई है नामान्तरण गैर बहस अपील से संबंधित कृषि भूमियों की बाबत अपीलान्टा द्वारा अदालत उपखण्ड अधिकारी चूरू के समक्ष एक दावा पेश किया उसके पश्चात दिनांक ... न्यायाधीश चूरू के न्यायालय में दूसरा दावा पेश किया जिसको पेश करते वक्त रेस्पोंडेंट ... 1 ... का जबाब आने के बाद अपीलान्टा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:56 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तकरण विवादित के बाबत पूर्ण जानकारी हो गई थी अपीलान्टा द्वारा इस अपील में नामान्तकरण के बाबत जानकारी 29.11.2022 को होने के कथन सरासर गलत व झुठे लिखे है।

यह कि अपीलान्टा द्वारा दो नामान्तरकरणो के विरूद्ध दो अलग अलग एजेन्सीयों / न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अलग अलग नामान्तरकरण संख्याओं के विरूद्ध अलग अलग दो गांवो की सरहदो में स्थित कृषि भूमियों की बाबत दो अलग अलग उपहार पत्रों के आधार पर दर्ज नामान्तरकरणो के विरूद्ध जो एक ही अपील पेश की है वोह कानूनन किसी भी तरह से मैन्टेनेबल नही है।यह कि जिन जिन न्यायालयों के द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक स्वीकार किए गये है अपीलान्टा द्वारा उनको अपील में पक्षकार बतोर रेस्पोडेंटान नही बतया गया है इस प्रकार के नान जोईन्डर व मिस जोईन्डर का अहम दोष के करण से भी अपील अपीलान्टा हर प्रकार से प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य है।यह कि नामान्तरकरण कृर्षि भूमि की बाबत एक राजस्व प्रक्रिया है अपीलान्टा द्वारा जब नामान्तरकरण से संबंधित कृर्षि भूमियों में अपना हक बता कर हक के निर्धारण की बाबत जब दावा पेश कर रहा है तब असली हक अधिकार कानिस्तारण तो दावा में होना हे एसी सुरत में नामानतरकरण के विरूद्ध पेश अपील अपीलान्टा कानूनन खारिज किए जाने योग्य है।यह कि अपीलान्टा द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के बिना श्रवणाधिकार के मियाद बाहर बिना कानूनी प्रोपर पक्षकार बनाए अलग अलग आदेशो की जो एक अपील पेश की है वोह बिना किसी कार्यवाही के इसी स्टेज पर खारिज किए जाने यौग्य है।अतः प्रारम्भिक आपति का रेस्पोडेन्ट सं 1, 3 की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्टा इसी स्टेज पर बिना किसी प्रकार की काई कार्यवाही किए उपर वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष में कानुनन खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से आपति का जवाब इस प्रकार प्रस्तुत किया गया।

जबाव दरख्वास्त

1. यह कि रेस्पोडेन्टस की आपत्ति यह रही है कि यह अपील ग्राम पंचायत के द्वारा पारित इंतकाल के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो कानूनन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही करके सबडिविजनल अधिकारी (व.द.) चूरू के समक्ष प्रस्तुत नही करने के कारण माननीय जिला कलेक्टर महोदय को यह अपील सुनने का अधिकार नही है। अपील इंततमक इल सूं है। अतः खारिज की जावे– प्रार्थना पत्र के द्वितीय पैरा में अवधि बाहर की आपत्ति की गई है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को खारिज करने का निवेदन किया है।
2. यह कि रेस्पोडेन्टस द्वारा माननीय न्यायालय को अपील नही सुनने की जो आपत्ति की गई है, वह कानूनन गलत आपत्ति की गई है। यह स्वीकृत तथ्य है कि यह अपील इंतकाल के आदेश के विरुद्ध की गई है। इंतकाल का आदेश पारित करते समय ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की जांच नही की गई। अपीलान्टा को कोई नोटिस, सूचना नही दी गई। वादगत कुल कृषि भूमि पैत्रिक भूमि है जिसमें अपीलान्टा का हिस्सा जन्म से है। उसके पिता द्वारा किया गया ट्रांसफर अपीलान्ट के हिस्से की हद तक दनसस – अवपक है। अपीलान्टा ने उपहार पत्र को जिला न्यायालय, चूरू में चैलेंज कर रखा है। दावा जिला न्यायालय चूरू के समक्ष लम्बित है। तथा एक दावा उपखण्ड अधिकारी चूरू के न्यायालय में दुरुस्ती रिकार्ड का भी प्रस्तुत कर रखा है। इस प्रकार उपहार पत्र बिला अधिकार का है।
3. यह कि ग्राम पंचायत बीनासर ने किसी प्रकार की जांच व इन्क्वारी नही की न अपीलान्टा को नोटिस दिया गया न तहसील[illegible] रिपोर्ट ली। पटवार हल्का से मिली भगत किया तथा इस इंतकाल के आधार पर [illegible] चूरू ने वादगत खातेदारी कुल जमीन का रेवेन्यू रिकार्ड जमाबंदी में इन्द्राज [illegible] आदेश इललीगल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:56 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि आदेश जेर अपील में खाता सं. 256 की 42 बीघा जमीन ग्राम बैठक दिनांक 22.06.2021 में सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया है एसडी/– जीवणी– सरपंच ग्राम पंचायत बीनासर की मोहर है। अपीलान्टा को पंचायत द्वारा कोई नोटिस नही दिया तथा सरपंच ने अपने हस्ताक्षरो के नीचे कोई तारीख नही की। भूअभिलेख पटवार हल्का द्वारा इंतकाल संख्या 114677 दिनांक 06.09.2010 के अनुसार के कॉलम सं. 7 में निम्न प्रविष्टी है– रामचन्द्र पुत्र तुलछा +1/6+ हिस्सा, रहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीनासर, तिजली, भुगानी, सोनी, रजी पुत्रिया तुलछा कोम जाट निवासी छाजूंसर +5/6+ हिस्सा खातेदार
खाता सं. 9 – रामचन्द्र पुत्र तुलछा +1/6+ हिस्सा, हडमान, तिजली, रफी पुत्र पुत्रिया तुलछा बहिस्सा +3/4+ हिस्सा जाति जाट नि. सहजूंसर खातेदार
5. यह कि उपरोक्त से साबित है कि वादगत जमीन अकेले तुलछा की नही थी तथा उसे किसी भी तरह से अपने पुत्र के नाम से कुल जमीन का उपहार करने का अधिकार नही था जो विषय दावा में तय होना है।
6. यह कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 75 प्रथम अपील बाबत एक्ट की है तथा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 135 में भी अपील की व्यवस्था है। धारा 75 में जिला कलेक्टर को अपील सुनने का अधिकार है।
7. यह कि राजस्व मण्डल अजमेर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिला कलेक्टर द्वारा इंतकाल की अपील सुनने के तथ्य को ज्यादा मजबूत माना है, जिस बाबत न्याय दृष्टांत वरवक्त बहस प्रस्तुत किये जावेंगे।
8. यह कि कानूनन जिला कलेक्टर इंतकाल की अपील सुनने हेतु सक्षम न्यायालय है।
9. यह कि आदेश 7 नियम 10 सीपीसी में व्यवस्था है कि अगर किसी न्यायालय को दावा/ अपील सुनने का अधिकार नही है तो पीडित पक्षकार को उसे सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत निर्देश दिये जा सकते है। ऐसी स्थिति में भी यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। माननीय न्यायालय के अपील सुनने के अधिकार को निरस्त नही किया गया है। रेवेन्यू रेकार्ड में तथाकथित इंतकाल के आधार पर एन्ट्री रेस्पोडेन्ट के हक में हो चुकी है।
10. यह कि इंतकाल की कार्यवाही पिबंस कार्यवाही है, किसी प्रकार के अधिकारो का सृजन नही करती है। अगर माननीय न्यायालय यह पाता है कि उन्हे यह अपील सुनने का अधिकार नही है तो इस अपील को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाया जा सकता है जो कानून सम्मत है।
11. यह कि अन्य बिन्दू वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलाण्ट ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पैतृक सम्पति है तथा गिफ्ट के आधार पर मुटेशन हुआ है। तथा अधिवक्ता रेस्पो ने अपनी बहस में आपति प्रार्थना–पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेद किया कि गिफ्ट डीड अभी स्टैण्डिंग है ग्राम पंचायत ने मुटेशन भरा है ।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर गौर किया गया जिससे निम्न तथ्य प्रकट होते है कि अपीलांट मीरा देवी द्वारा प्रस्तुत अपील में यह कथन किया गया है कि वादगत कृषि भूमि ग्राम छाजूसर एवं ग्राम बीनासर [illegible] 54, 56, 62 तथा खसरा संख्या 353 एव 363 पूर्व में स्वर्गीय तुलछाराम पुत्र गणेशाराम [illegible] भूमि थी। तुलछाराम के देहावसान के पश्चात उक्त भूमि उनके दो पुत्रों [illegible] प्राप्त हुई। अपीलांट का कथन है कि हड़मानाराम के हिस्से में [illegible] उनके भाईयों का भी उत्तराधिकार कानूनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:56 IST
Reason: SelfAttested

बनता है तथा उक्त भूमि पैतृक एवं अविभाजित है। आरोप है कि रेस्पोंडेंट संख्या 3 हड़मानाराम ने दिनांक 12.04.2021 को दो उपहार पत्र (Gift Deed) रेस्पोंडेंट संख्या 1 जगदीश के पक्ष में निष्पादित कर दिए, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.06.2021 को नामांतरण तस्दीक कर दिया गया। अपीलांट का कहना है कि उक्त नामांतरण बिना नोटिस एवं बिना सुनवाई के किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, अतः इसे निरस्त किया जाए। रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति में मुख्यतः निम्न आधार प्रस्तुत किए गए अपील जिस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है वह तहसीलदार का आदेश नहीं बल्कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण आदेश है। अपील मियाद से अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है। दो पृथक–पृथक नामांतरणों एवं दो अलग ग्रामों की भूमि के संबंध में एक ही अपील प्रस्तुत की गई है, जो विधिसम्मत नहीं है। जिन प्राधिकरणों द्वारा आदेश पारित किए गए उन्हें अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। नामांतरण केवल राजस्व प्रविष्टि है जो स्वामित्व अधिकारों का अंतिम निर्धारण नहीं करती। अतः अपील को प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

अभिलेख का अवलोकन तथा अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरान्त निम्न प्रकार विचार किया गया अभिलेख से स्पष्ट है कि विवादित नामांतरण आदेश ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया है। राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.09.1982 तथा तत्पश्चात प्रदत्त अधिकारों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण आदेशों के विरुद्ध अपील संबंधित राजस्व प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। अतः केवल इस आधार पर अपील को अस्वीकार करना उचित नहीं है कि नामांतरण ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है।

अभिलेख से स्पष्ट है कि नामांतरण आदेश दिनांक 22.06.2021 को पारित हुआ जबकि वर्तमान अपील दिनांक 09.06.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने यह कथन किया है कि उसे उक्त नामांतरण की जानकारी 29.11.2022 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर हुई। किन्तु अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि अपीलांट द्वारा इसी भूमि के संबंध में अन्य वाद पूर्व में भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिससे यह अनुमानित होता है कि उसे नामांतरण की जानकारी पूर्व में ही थी। इस प्रकार अपील में विलंब पर्याप्त रूप से संतोषजनक कारणों से स्पष्ट नहीं किया गया है।

राजस्व विधि का स्थापित सिद्धांत है कि नामांतरण (Mutation) मात्र राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि करने की प्रक्रिया है, जिससे किसी भी पक्ष के स्वामित्व अधिकारों का अंतिम निर्धारण नहीं होता। स्वामित्व संबंधी विवाद का अंतिम निर्णय सक्षम दीवानी न्यायालय अथवा राजस्व न्यायालय में विधिवत वाद के माध्यम से ही किया जा सकता है।

प्रकरण में स्वयं अपीलांट ने यह स्वीकार किया है कि उपहार पत्रों की वैधता को चुनौती देते हुए जिला न्यायालय, चूरू में वाद लंबित है। ऐसी स्थिति में स्वामित्व अधिकार का प्रश्न उस वाद में विचाराधीन है अभिलेख से स्पष्ट है कि नामांतरण उपहार पत्र के आधार पर किया गया है। जब तक उपहार पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त या अवैध घोषित नहीं किया जाता, तब तक उसके आधार पर की गई राजस्व प्रविष्टि को केवल अधिकार विवाद के आधार पर निरस्त करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। राजस्व अभिलेखों का उद्देश्य वास्तविक स्थिति का प्रशासनिक लेखा रखना है, न कि स्वामित्व अधिकारों का अंतिम निर्णय करना।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों तथा विधिक सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि नामांतरण उपहार पत्र के आधार पर किया गया [illegible] पत्र की वैधता का प्रश्न सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। नामांतरण कार्यवाही केवल [illegible] जो स्वामित्व अधिकारों का अंतिम निर्धारण नहीं करती। अपील अत्यधिक [illegible] के लिए संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः इस [illegible] प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:56 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिया जाता है कि

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट मीरा देवी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सक्षम न्यायालय द्वारा उपहार पत्रों को अवैध या निरस्त घोषित किया जाता है, तो संबंधित पक्षकार उस आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करवाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:56 IST
Reason: SelfAttested